Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तन: एक भौगोलिक विश्लेषण

राधुसिंह भूरिया* डॉ. आर.आर. गोरास्या**

*** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत**
**** सह-प्राध्यापक, शासकीय माधव कला वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध कार्य में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन में एवं कृषि उत्पादकता भूमि उपयोग व अन्य प्रभावों को देखा गया। तथा इसके उत्पादन में वृद्धि का पता लगाकर कृषि विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। अत: प्रस्तुत शोध कार्य कृषि विकास एवं भूमि उपयोग से संबंधित होनें के कारण इसकी कृषि विकास की उपयोगिता प्रत्येक क्षेत्र में रहेंगी। इस अध्ययन की उपयोगिता कृषि विकास किसानों के लिये तो रहेगी, साथ ही जिले में कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साथ-साथ कृषि विकास एवं उद्योगिक क्षेत्र को भी मजबुत करनें एवं रोजगार में वृद्धि एवं कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में भी सहायता मिल सकेंगी।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले पर आधारित है। झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिला है। अध्ययन क्षेत्र का अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार 22°-24‘ से 23°-55‘ उत्तरी अक्षांश तथा 73°-30‘ से 75°-30‘ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। यह क्षेत्र उबड-खाबड एवं पहाडी क्षेत्र हैं। इस जिले की सीमाएं उतर में रतलाम तथा दक्षिण में अलीराजपुर, पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में धार जिले को स्पर्श करती हैं। जिले की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10,25,048 है।

शब्द कुंजी – कृषि विकास, भूमि उपयोग, फसल प्रतिरूप, भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि उत्पादकता, कृषि नवाचार।

प्रस्तावना – कृषि एक अत्यन्त व्यापक आर्थिक कृषि एक अत्यन्त व्यापक आर्थिक क्रिया है। इसके अर्थ को समझने में इसका अंग्रेजी समानार्थी ‘एग्रिकल्चर’शब्द की उत्पत्ति सहायक है। यह शब्द लेटिन भाषा के ‘एगर’ और कल्चर शब्दों से मिलकर बना है। जिसका तात्पर्य क्रमश: खेत या मिट्टी और जोतना है। इस तरह एग्रिकल्चर का अर्थ भूमि को जोतकर फसल पैदा करना है। परन्तु ‘कृषि’ शब्द की संकल्पना में भूमि से फसल उत्पादन करने के साथ पशुपालन और सिंचाई आदि क्रियाएँ सम्मिलित की जाती है। वास्तव में वे विधियाँ भी कृषि के अन्तर्गत आती है। जिनका प्रयोग फसलों और पशुओं के उत्पादन को वांछित दिशा देने में किया जाता है। इस तरह कृषि के अन्तर्गत मानव के उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ और कच्चे माल उत्पन्न करने के लिए भूमि के उपयोग करने वाली सभी विधियाँ आती हैं। इसमें कुदाल पर आधारित जीवन निर्वाह वाली अन्न प्रधान खेती से लेकर मषीनों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने वाली व्यापारिक कृषि तक आती है।

जसबीर सिंह तथा ढिल्लो ने अपनी पुस्तक कृषि भूगोल में इससे आगे कहा है कि ‘कृषि फसलोत्पादन से अधिक व्यापक है। यह मानव द्वारा ग्रामीण पर्यावरण का रूपान्तरण है। जिससे कृषि उपयोगी फसलों एवं फसलों के लिए अनुकूल दशाएँ सुनिश्चित की जा सके।’

कृषि बड़ी सीमा तक प्राकृतिक वातावरण पर आधारित है। मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करता है। इनका आरम्भ कृषि के अनुकूल वातावरण ढूंढने के प्रयास से होता है। यह उपयुक्तता जलवायु धरातल एवं अपवाह तथा मिट्टी द्वारा निर्धारित होता है। प्राकृतिक वातावरण के इन तत्वों को भी इस तरह संशोधित करने का प्रयास किया जाता है। जिससे अधिकतम लाभ मिल सके, खेत बनाना, जोतना, जल प्रवाह की व्यवस्था करना आदि इस प्रकार के कार्य हैं।

कुछ प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे नमी की कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई, मिट्टी की उर्वराशक्ति को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरकों को प्रयोग करना आदि इसके साथ विभिन्न प्रकार के वातावरण वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पषुओं एवं फसलों की जातियाँ भी विकसित की जाती हैं, जिससे उपस्थित सम्भावनाओं का अधिकतम दोहन किया जा सके। इस प्रकार ये सभी कार्य प्राकृतिक वातावरण के साथ ही कृषक की सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के स्तर पर भी निर्भर होते हैं।

अध्ययन का क्षेत्र एवं विस्तार – प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले पर आधारित है। झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। अध्ययन क्षेत्र का अक्षांषीय एवं देशान्तरी विस्तार 22°-24‘ से 23°-55‘ उत्तरी अक्षांश तथा 73°-30‘ से 75°-30‘ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के पश्चिम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की सीमाएँ उत्तर में रतलाम तथा दक्षिण में अलिराजपुर पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में धार जिला आता है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन – कृषि विकास एवं भूमि उपयोग से सम्बन्धित अध्ययन कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों तथा भूगोलविदाओं के द्वारा अपने-अपने ढंग से किये गये किसी भी वैज्ञानिकों कार्य के लिये

विषय से सम्बन्धित सार्थक है कि पुनरावलोकन द्वारा अध्ययन किये जाने वाले की समस्याओं, अवधारणाओं स्पष्ट करने में सहायक होती है। साहित्य के पुनरावलोकन द्वारा शोधकर्ता के विषय से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी प्राप्त होती है। किसी प्रकृति का कितनी गहराई का तथा किसी प्रकार का कार्य हो चुका है। इसकी जनकारी के आधार पर शोधकर्ता भविष्य में दिशा निर्देश प्राप्त करता है साहित्य के पुनरावलोकन से अध्ययन से ही शोधकर्ता यही समझ पाता है कि उसे किस प्रकार के तथा कितनी गहराई से अथवा किस विषय पर शोध करना चाहिए तथा इसके उद्देश्य से शोधकर्ता के विषय से सम्बन्धित शोध कार्यो का पुनरावलोकन कार्य किया जाता है। इस अध्ययन को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

1. मिलर एवं जान स्टोन (1961) ने कृषि विकास के महत्व को दर्शानें के लि कृषि की खाद्यय पूर्ति में वृद्धि कृषि उत्पादन के निर्मित में वृद्धि ही आया के स्तर में वृद्धि से क्रय शक्ति में वृद्धि आदि प्राथमिकता निर्धारित की है।
2. हुसैन (1976) सतलज-गंगा के मैदान की कृषि उत्पादकता का अध्ययन सम्पूर्ण फसलों से प्राप्त मुद्रा की गणना प्राप्त हैक्टेयर के आधार पर किया है।
3. स्टैम्प (1962) ने कुछ देशों की प्रमुख फसलों को सूनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केण्डाल के कोटि गुणांक तकनीकी के आधार पर कृषि क्षमता का निर्धारण किया है।
4. कुजनेटस (1961) के मतनुसार आर्थिक विकास में कृषि खाद्यय पूर्ति रेशे उत्पादन में वृद्धि बाजार का विस्तार एवं अकृषिगत व्यवसाय में श्रम की पूर्ति आदि तीन रूपों में सहयोग करती है।
5. दत्त एवं राबिन (1969) कृषि के विकास में भूमि के अधिकतम आर्थिक उपयोग को महत्वपूर्ण माना यथार्थ यदि भूमि को पर्याप्त मात्रा में पामककन्नी और खाद्य उपलब्ध हो तो अधिक फसल में वृद्धि होगी।
6. जसबीर सिंह (1974) ने भारत में हरित कृषि के प्रभाव का अध्ययन किया एवं भारत के कृषि एटलस में कृषि विकास के लिए विभिन्न तथ्यों का भौगोलिक विश्लेषण किया है।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य :

1. अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में होनें वाले परिवर्तनों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
2. विकास खण्डवार फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन का विश्लेषण करना।
3. कृषि गहनता एवं उत्पादकता हेतु सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं कृषि यंत्रीकरण, उन्नत बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि का आकलन करना।
4. अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग एवं फसल प्रारूप को प्रदर्शन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ : कृषि विकास एवं भूमि उपयोग के फलस्वरूप कृषि उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किन्तु कुछ तथ्य उभरकर सामने आये हैं। वे निम्न हैं :

1. अनुकूलतम कृषि विकास एवं भूमि उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।
2. जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ है।
3. ग्रामीण क्षेत्र में मूल आधार कृषि एवं रोजगार में वृद्धि हुआ है।
4. सिंचाई की सुविधा से कृषि एवं नवाचार में वृद्धि हुआ है।
5. कृषि विकास में खाद बीज का अधिक उपयोग करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुआ है।

शोध अध्ययन की प्रविधि : शोधकार्य में जनसंख्या भूमि उपयोग कृषि प्रारूप का आधुनिकीकरण जैसे तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मानचित्रीय एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जायेगा। झाबुआ जिले की 6 तहसीलों के वर्ष 1995-98 से 2015-18 के भूमि उपयोग के आँकड़ों का तालिकाओं आरेखों एवं मानचित्रों द्वारा विश्लेषण किया जायेगा प्रस्तुत शोधकार्य के निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जायेगा।

वर्तमान कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन : कृषि भूमि उपयोग का वितरण एवं उनका परिवर्तनशील प्रतिरूप का अध्ययन कृषि विकास के लिए आवश्यक होता है। झाबुआ जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 293057 हेक्टेयर है। इसमें 63 प्रतिशत भूमि के उपयोग सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध हैं। यहाँ भूमि उपयोग में कृषीय उपयोग में परिवर्तन, स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, मानव की आर्थिक क्रियाएं आदि सम्मिलित हैं। जहाँ झाबुआ जिले में अनास एवं माही नदियों के किनारे वनों की प्रधानता पाई जाती है वहीं कहीं-कहीं वर्षा की कमी के कारण कृषि के लिए अयोग्य तथा बंजर भूमि का विस्तार भी पाया जाता है। इसी प्रकार स्थालाकृति उपजाऊ मिट्टी एवं जनसंख्या दबाव क्षेत्रों में कृषि विकास बाधित होता रहता है।

जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं खाद्यान्नों की बढ़ती मांग, उन्नत बीज के कारण भूमि उपयोग के प्रतिरूप और प्रकार में निरंतर परिवर्तन देखा गया है। कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत पिछले चार दशकों के दौरान शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बंजर और अकृषित, परती भूमि के क्षेत्र में वृद्धि नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भूमि उपयोग की बढ़ती जटिलता बहुशस्य, मिश्रित शस्य, शस्य विविधता आदि के कारण ग्रामीण भूमि उपयोग आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग को आठ वर्गों में विभाजित किया गया है।

1. भौगोलिक क्षेत्र
2. वन
3. कृषि योग्य भूमि
4. पड़त भूमि
5. शुद्ध बोया गया क्षेत्र
6. द्धि-फसली क्षेत्र
7. कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं
8. अन्य अकृष्य भूमि पड़ती शामिल नहीं

तालिका क्रमांक 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

शोध की समस्या : प्रस्तुत शोध में समस्या का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कृषि विकास एवं भूमि उपयोग का क्या योगदान है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है एवं आदिवासी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। गाँव छोटे-छोटे दूर-दूर एवं कृषि पर निर्भर हैं। कृषि विकास में आधुनिक संसाधनों के द्वारा उर्वरक खाद्य बीज और नई-नई बीज एवं रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने में समझाना शोध कार्य को पूर्ण करने में समस्या थी।

कृषि विकास एवं भूमि उपयोग का आंकलन कर कमियों को दूर करने के लिए उपाय सुझाये जा सकते हैं। कृषि विकास का उद्देश्य सीमान्त किसानों

से लेकर लघु किसानों को लाभ मिले।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

निष्कर्ष : झाबुआ जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। यह जिला कृषि पर आधारित है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 63.98 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। इसमें से कुल द्विफसली भूमि का क्षेत्रफल 23.38 प्रतिशत है। क्षेत्र में पड़त भूमि का प्रतिशत 2.48 है। कृषि भूमि उपयोग की क्षेत्र में असमानता पाई गई है। अध्ययन क्षेत्र में आदिवासी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि विकास एवं भूमि उपयोग पर इसका दबाव कृषि भूमि पर पड़ता है। जिले की धरातलीय संरचना ऊबड़-खाबड़ एवं पर्वतीय-पठारी होने के कारण कृषि भूमि में वृद्धि होना सम्भव नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में कृषकों द्वारा की जाने वाली फसलों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता का मुख्य कारण कृषि भूमि एक समान न होना है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन 'झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तन : एक भौगोलिक विश्लेषण' किया गया है, जिसमें कृषि विकास एवं भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोग परिवर्तन के आंकड़ों को सारणियों तथा आरेखों के द्वारा किया गया है तथा प्रश्नावली अनुसूची, साक्षात्कार अवलोकन, समूह चर्चा व्यक्तिगत करके प्राप्त किए गए हैं।

अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले पर आधारित है। झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। जिले का अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार 22°24' से 23°55' उत्तरी अक्षांश तथा 73°30' से 75°30' देशान्तर के बीच स्थित है तथा जिले की सीमाएं उत्तर में रतलाम जिले तथा दक्षिण में आलीराजपुर जिले पश्चिम में गुजरात राज्य एवं पूर्व में धार जिले को स्पर्श करती हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या 1025048 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 515023 और महिला जनसंख्या 510025 है जो वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 2.30 प्रतिशत रही है जो कि पिछले अन्य वर्षों की तुलना में वृद्धि दर अधिक है। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है।

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता दर 43.23 प्रतिशत है। इसमें से पुरुष साक्षरता 52.98 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 33.23 प्रतिशत है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीकी ज्ञान एवं कृषि नवाचारों का विकास किया जा जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन का अध्ययन कर कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

अत: झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में असंतुलन पाया गया है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के लिए साधनों की कमी है। झाबुआ जिले में कृषि विकास हेतु न केवल भूमि उपयोग में वृद्धि करना आवश्यक है परन्तु सिंचित, असिंचित क्षेत्र में शीघ्र पकने व अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों के क्षेत्र में भी वृद्धि करना भी आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि सुधारना चाहिए जिससे कृषि विकास एवं उत्पादन में में वृद्धि होगी। अध्ययन क्षेत्र में जोतों के आकार की संख्या छोटी है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी जोतों वाले किसान आधुनिक तकनीकी एवं उन्नतशील बीजों का उपयोग नहीं कर पाते हैं जिसके कारण कृषि पैदावार में कमी होती है। अध्ययन क्षेत्र में कई दशकों से खेती होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। उत्पादन बढ़ने के लिए देशी खाद बीज की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि के अतिरिक्त भूमि को सुधारकर कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है एवं उन्नतशील बीजों एवं रासायनिक, जैविक खाद, बीजों का उपयोग करके फसलों की पैदावार में वृद्धि करके कृषि विकास एवं भूमि उपयोग की आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

सुझाव : अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन एवं कृषि विकास के संरक्षण के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं-

1. **भूमि सुधार :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए कृषि भूमि सुधार होना महत्वपूर्ण होता है। अध्ययन क्षेत्र में प्रति वर्ष मृदा अपरदन एवं भू-क्षरण के कारण कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी होती जा रही है और कृषि विकास के लिए भूमि अयोग्य हो रही है। इसे रोकने के लिए अध्ययन क्षेत्र के कृषकों के द्वारा खेतों के चारों ओर मेड़बन्दी करना चाहिए और कृषि सुधार के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां एवं वैज्ञानिक संसाधनों को अपनाकर बंजर एवं परती भूमि एवं अपरदन एवं भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाए, जिससे क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि सुधार किया जा सकता है।

2. **आधारभूत सुविधाएं :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होता है, जैसे कि सड़क पानी, आवास, बिजली की सुविधा, कृषि विकास के लिए आवश्यक है तथा कृषि साधनों के लिए खाद, बीज एवं रासायनिक उर्वरक आदि सुविधाएं होना आवश्यक होता है।

3. **अध्ययन क्षेत्र उन्नत किस्म के खाद-बीजों का उपयोग करना :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ाने के लिए नए-नए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादन अधिका प्राप्त किया जाए तथा झाबुआ जिले में किसानोंके द्वारा देशी खाद बीजों का अधिक प्रयोग किया जाए जिससे उत्पादन प्रति हेक्टेयर में वृद्धि हो तथा साथ में उन्नत बीजों को उपयोग में लाना आवश्यक है।

4. **शिक्षा का प्रसार :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए किसानों का शिक्षित होना आवश्यक है तथा आदिवासी किसानों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार होना चाहिए जिससे कृषि विकास के लिए खाद-बीज एवं समर्थन मूल्य के जानकारी होना आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता दर 43.23 प्रतिशत है जिसमें से पुरुष साक्षरता 52.85 प्रतिशत एवं महिला 33.77 प्रतिशत है। इसी प्रकार दूसरे जिलों की तुलना में झाबुआ में साक्षरता दर बहुत कम है तथा जिले में किसानों को साक्षर करना अत्यंत आवश्यक है। किसान साक्षर होंगे तो कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में वृद्धि होगी।

5. **कृषि सम्बंधित ऋण योजना :** अध्ययन क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है जो अधिकतर कृषक गांवों में निवास करते हैं और इस जनसंख्या से अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है परन्तु यहां किसानों को सरकार द्वारा जो भी लाभकारी योजनाओं जैसे कि फसल बीमा योजना, किसान ऋण योजना तथा मध्यप्रदेश में सभी जिलों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाएं आदि योजनाओं का लाभ किसानों को मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा एवं कृषि विकास करके उत्पादन में वृद्धि होगी तथा इन

लाभकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में लाभ मिले और कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी।

6. पूंजी की कमी : अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के लिए भी सभी क्षेत्रों की तरह कृषि भूमि को भी पनपने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। क्षेत्र में तकनीकी विस्तार ने किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन आदिवासी किसानों के पास पूंजी की कमी बनी हुई है। छोटे किसानों एवं व्यापारियों से उच्च दर पर कर्ज लेते हैं लेकिन किसानों ने बैंकों से कर्ज लेना भी शुरू कर दिया है लेकिन उनकी स्थिति अभी भी आशानुरूप बदली नहीं है।

7. शुष्क कृषि पद्धति : अध्ययन क्षेत्र में कृष्ज्ञि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए किसानों द्वारा शुष्क कृषि पद्धति के द्वारा खेती भी होना आवश्यक है क्योंकि कम जल वाली भूमि पर भी अधिक से अधिक पैदावार ली जाती है। फसलों में चना, मक्का और जौ आदि फसलें अधिक मात्रा में पैदा की जा सकती हैं। ऐसी फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। इसलिए अध्ययन क्षेत्र में शुष्क कृषि करने से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है।

8. कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार : अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का जीवन-यापन जीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है। अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है जिससे कृषि भूमि कम हो रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कृषि का उपविभाजन एवं उपखण्डन से खेती करना असम्भव है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है जिसके कारण आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से कृषि करना सम्भव नहीं हो पाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन अपनाने वालों को आर्थिक सहायता, कृषि सुविधा जुटाने में आर्थिक छूट प्रदान करना चाहिए।

9. कृषकों का वर्षा पर आश्रित होना : अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश किसान केवल मानसून पर ही निर्भर रहते हैं और केवल वर्षा ऋतु की फसल (खरीफ फसल) का उत्पादन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण कृषि कार्य वर्षा पर ही आश्रित है तथा क्षेत्र में वर्षा का वितरण अनिश्चित एवं अनियमित है जिससे वर्षा समय पर न होने के कारण किसानों में मायूसी बनी रहती है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर सिंचाई तालाबों, कुओं एवं नलकूपों के द्वारा ही की जाती है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाता है और सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था के अभाव में फसलों का उत्पादन कम हो पाता है। क्षेत्र में सिंचाई की कमी एवं वर्षा की मात्रा कम होने से कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रभावित होता है। क्षेत्र में वर्षा के जल को रोकने के लिए उचित मात्रा में जल प्रबंध एवं बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। कृषकों को सिंचाई सुविधाओं के बारे में समझाया जाए तथा इनका उपयोग उचित मात्रा में व सही समय पर करने की सलाह दी जानी चाहिए।

इस प्रकार झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन का विस्तृत शोध किया गया है। अत: उपर्युक्त सुझावों को समय पर लागू करके कृषि विकास एवं भूमि उपयोग को सन्तुलित बनाए रखने में बहुत सहयोग प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आने वाली समस्याओं का समाधान होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल: लेखक डॉ. प्रमिला कुमार।
2. जगदेव 2011 कृषि भूमि उपयोग और फसल उत्पादकता पर सिंचाई का प्रभाव सुलतानपुर जनपद का एक विवरण।
3. डॉ. अख्तर बानो : कृषि विकास की गतिशीलता और प्रतिरूप मालवा पठार (म.प्र.) के संदर्भ में विश्लेषण।
4. कैलाश यादव 2017 - अपरवेदा सिंचाई परियोजना से कृषि उत्पादकता एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन।
5. सिंह ब्रह्मानन्द 1984 : उत्तर प्रदेश की देवरिया तहसील में कृषि भूमि उपयोग।
6. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल: लेखक डॉ. श्रीकमल शर्मा।
7. जिला सांख्यिकी पुस्तिका झाबुआ 2017-18

तालिका क्रमांक 1: जिला झाबुआ : भूमि उपयोग में परिवर्तन (2000-01 एवं 2017-18)

क्र.	भूमि उपयोग वर्ग हेक्टेयर में	वर्ष 2000-01		वर्ष 2017-18		परिवर्तन	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	679316	100	293057	100	386259	-131*
2	वन क्षेत्र	54434	9.48	7554	2.57	56880	- 6.91
3	कृषि योग्य भूमि	25523	3.76	17827	6.8	7696	+2.32
4	पड़त भूमि	9324	1.37	7285	2.48	2039	+1.11
5	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	430778	63.41	188238	64.23	24240	0.82
6	द्धिफसली	71049	10.46	70181	23.38	168	+12.82
7	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है	140819	20.73	67809	23.13	73010	+2.4
8	अन्य अकृष्य भूमि	8438	1.25	4338	1.48	4100	+0.23

स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका झाबुआ 2018

****